

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश  
1, तिलक मार्ग, लखनऊ

डीजीपरिपत्र संख्या: 54/2016

दिनांक: सितम्बर 10, 2016

समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स/रेलवे, उ0प्र0 ।

समस्त परिक्षेक्षीय पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र/रेलवे, उ0प्र0 ।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उ0प्र0 ।

आप अवगत ही हैं कि प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सी0य०जी० मोबाइल की सुविधा बेहतर पुलिसिंग, कानून-व्यवस्था बनाये रखने, अपराधों पर समुचित नियंत्रण रखने तथा जनप्रतिनिधिगण, उच्चाधिकारियों एवं जन-सामान्य से संवाद स्थापित करने एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान के उद्देश्य से प्रदान की गई है। जोनल पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक एवं जनपदीय वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षकों से यह अपेक्षित है कि वह अपने सी0य०जी० मोबाइल को सदैव स्विच-आन मोड पर रखें तथा प्रत्येक इन्कमिंग-काल को तत्परता से रिसीव करें।

2- शासन एवं इस मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी प्रायः अपने सी0य०जी० मोबाइल स्विच-आफ मोड पर रखते हैं अथवा काल रिसीव ही नहीं करते हैं। विशेष रूप से यह प्रवृत्ति जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकगण के सम्बन्ध में संज्ञान में आ रही है। इस प्रकार की प्रवृत्ति के कारण जहां एक ओर प्रदेश सरकार के मा० मंत्रीगण, शासन के उच्चाधिकारीगण, इस मुख्यालय के अधिकारियों एवं जन-सामान्य को अनेक बार कठिनाईयों की सामना करना पड़ता है वही दूसरी ओर शासन द्वारा सी0य०जी० मोबाइल की सुविधा प्रदान किए जाने का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है। यह स्थिति किसी भी दशा में औचित्यपूर्ण नहीं कही जा सकती है।

3- अनेकों अवसरों पर महत्वपूर्ण प्रकरणों में मुख्यमंत्री सचिवालय/शासन द्वारा सूचनायें तत्काल/अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की जाती है और जब इस निमित्त अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया जाता है तो अधिकांशतः मोबाइल रिसीव नहीं होते। फलस्वरूप समय से सूचना संप्रेषण में विलम्ब होता है और कई बार अत्यन्त असहज स्थिति का समाना भी करना पड़ता है। कुछ सूचनायें ऐसी भी होती हैं जिन पर त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता होती है और ऐसे में अधिकारियों का फोन रिसीव

न होना कार्य सम्पादन में बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। मोबाइल फोन के माध्यम से ही शासन एवं विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आप सबसे संपर्क स्थापित किया जाता है और यही वह माध्यम है जिससे सामान्य जन भी अपनी समस्याओं के निवारण हेतु पुलिस अधिकारियों से संवाद स्थापित करते हैं।

4- प्रदेश में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को उपलब्ध करायी गई सी0यू0जी0 सुविधा को उद्देश्यपरक बनाये रखने हेतु उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं जिनका आप द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इन निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता परिलक्षित होने पर इसे शासन एवं इस मुख्यालय द्वारा अत्यन्त गम्भीरता से लिया जायेगा : -

- (1) सी0यू0जी0 मोबाइल सतत (24 घण्ट) स्विच-आन मोड पर रखा जाय और किसी भी दशा में स्विच-आफ न किया जाय।
- (2) आप सभी द्वारा सी0यू0जी0 मोबाइल पर प्रत्येक इन्कमिंग-काल को रिसीव किया जाय।
- (3) यदि किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों में तत्समय इन्कमिंग-काल को रिसीव न किया जा सके तो प्रथम अवसर प्राप्त होते ही काल-बैक कर वार्ता की जाय।
- (4) यह भी सुनिश्चित करें कि आपके अधीन नियुक्त सभी राजपत्रित अधिकारी/थाना एवं चौकी प्रभारी भी अपने मोबाइल फोन/सीयूजी हमेशा आन रखें और उन पर प्राप्त होने वाली प्रत्येक काल को रिस्पॉन्ड (respond) करें।

5- पुनः स्पष्ट किया जाता है कि इन निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता अक्षम्य होगी।

10.9.16.  
(जावीद अहमद)  
पुलिस महानिदेशक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को उनके पत्र संख्या: 2578पी/छ:-पु-3-2016/41बी/2016 दिनांक 09 सितम्बर, 2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।